सभी ग्राहकों के लिए सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में एक नई सुविधा शुरू करने के बारे में सूचित किया गया है, जिसके तहत प्रेषक आरटीजीएस या एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से धन प्रेषण से पहले लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध नाम को सत्यापित कर सकेगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्य किया जा रहा है और सभी बैंकों को इसमें शामिल किया जा रहा है। संबंधित बैंक अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। यह सुविधा शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से लेन-देन करने वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगी।

इस सुविधा के सुचारू क्रियान्वयन हेतु, बैंक अपने ग्राहकों के नाम, जैसा कि कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज है, उसे एनपीसीआई (इस सुविधा के कार्यान्वयन की एजेंसी) को साझा करेगा, जिससे प्रेषण करने वाले बैंक को यह जानकारी भेजी जा सके। इस सुविधा के कार्यान्वयन के पश्चात, आरटीजीएस/ एनईएफटी के प्रेषक को लाभार्थी के नाम की पुष्टि करने की सुविधा मिलेगी, जो लाभार्थी बैंक के सीबीएस डेटाबेस में उपलब्ध रहेगा। प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए लाभार्थी के खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड के आधार पर, यह सुविधा लाभार्थी का खाता नाम बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से प्राप्त करेगी। यह पहल धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने, गलत खाते में धन हस्तांतरण की गलतियों से बचाने तथा प्रेषक एवं लाभार्थी दोनों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Notice to All the Customers

RBI has recently informed that they will be coming out with a facility that would enable a remitter to verify the beneficiary bank account name before initiating a transaction using RTGS or NEFT system. Accordingly, National Payments Corporation of India (NPCI) is developing this facility and onboard all banks. Banks shall make this facility available to their customers through Internet banking and Mobile banking. The facility shall also be available to remitters visiting branches for making transactions.

Thus for dissemination of customer name as per requirement of the facility, Bank will be sharing the names of the customer/s as available in the CBS system to NPCI (implementing agency) for onward transmission of information to the remitting Bank. After implementation of this facility, remitter of RTGS/NEFT will be able to verify the name of the intended beneficiary which is present in the CBS database of the beneficiary's bank. Based on the account number and IFSC of the beneficiary entered by the remitter, the facility will fetch the beneficiary's account name from the bank's Core Banking Solution (CBS). It will help in curbing frauds, avoid mistakes of wrong remittance and ensure safety of the funds of remitter customers & beneficiary.

-Central Bank of India